


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या-3901P/नौ-6-2014-205मिस/06टी.सी.1
लखनऊ : दिनांक 14 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित नगर पालिका परिषद में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

क्र०	नाम	पिता का नाम	पता	नगर पालिका परिषद का नाम	जिले का नाम
1	श्री मोहम्मद अफजल	श्री मोहम्मद मुस्तफा	मो०- चौदपुरा निकट चकारिया मस्जिद, बहराइच	बहराइच	बहराइच


2- श्री मोहम्मद अफजल पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तफा को नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामांकन मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या-5596/2013 में मा० न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

(श्री प्रकाश सिंह)
सचिव।
E

संख्या-^{39VIP}(1)/नौ-6-2014 तददिनांक

✓ प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित कराकर उसकी 125 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

अनु सचिव।

४

संख्या-^{39VIP}(2)/नौ-6-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, देवीपाटन।
- (3) जिलाधिकारी, बहराइच।
- (4) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) अध्यक्ष/अधिसूचक अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बहराइच।
- (6) सम्बन्धित नामित सदस्य (द्वारा जिलाधिकारी बहराइच)।
- (7) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र सिंह मौर्य)

अनु सचिव।

४